



आरक्षित

2026:AHC-LKO:21768

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 1312/2013

प्रभु नाथ राय

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, के.अ.ब्यू. भ्र.नि.शा. /लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शैलेन्द्र मिश्रा,

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : बिरेश्वर नाथ

न्यायालय संख्या - 17

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान विशेष अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार सिंह को सुना।
2. यह अपील, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण के.अ.ब्यू. (पश्चिम) लखनऊ द्वारा आपराधिक वाद संख्या 20/1999 (के.अ.ब्यू. बनाम मयंक त्रिपाठी और अन्य) में 20.8.2013 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। इस निर्णय के तहत, अपीलकर्ता को भा.दं.सं की धारा 120 और 420 के तहत 4 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है; जुर्माना की धनराशि न जमा करने पर एक साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा होगी। भा.दं.सं की धारा 120/467 के तहत 6 साल की सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा; जुर्माना न भरने पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक साल की अतिरिक्त कारावास की सज़ा होगी। भा.दं.सं की धारा 120/468 के तहत 4 साल की सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा; जुर्माना न जमा करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सज़ा होगी। और भा.दं.सं की धारा 120/471 के तहत 2 साल की सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा; जुर्माना न जमा करने पर दो महीने की अतिरिक्त कारावास की सज़ा होगी।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि के.अ.ब्यू. ने अभियुक्तों—यानी मयंक त्रिपाठी, नारायण सिंह, राकेश कुमार यादव और इंद्रेश प्रसाद यादव—के विरुद्ध पाँच प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी, वर्ष 1998 की नि.वा. संख्या 14, 15क, 16क, 17क और 18क दर्ज की थीं। इन प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि इन अभियुक्तों ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मिलीभगत करते हुए, एक जाली स्थानांतरण आदेश और सेवा पुस्तिका तैयार की थी। इन दस्तावेजों में यह दर्शाया गया था कि ये सभी आदेश सियालदह के मंडल कार्मिक अधिकारी द्वारा जारी किए गए थे, और इनमें यह उल्लेख किया गया था कि उक्त व्यक्तियों का स्थानांतरण सियालदह से उत्तरी रेलवे के स्वचालित यंत्र कार्यशाला, चारबाग, लखनऊ में 'खलासी' के पद पर कर दिया गया है। उपर्युक्त जाली स्थानांतरण आदेशों के आधार पर, अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों ने धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेते हुए लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया, जबकि वे वास्तव में सेवा में कार्यरत नहीं थे।

इसके बाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले की विवेचना की और इसे पूरा करने के बाद, 14.9.1999 को अपीलकर्ता के साथ-साथ मयंक त्रिपाठी, नारायण सिंह, राकेश कुमार यादव, इंद्रेश प्रसाद यादव, प्रभु नाथ राय, और भूपेंद्र नाथ राय (का.अधी.॥(पू.)-॥(प०), खण्ड म.प्र. (कार्मिक)/कार्यालय, उत्तरी रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली तथा राजकरण तिवारी (खलासी), लोको कार्यशाला, चारबाग, लखनऊ) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसमें यह टिप्पणी की गई थी कि भूपेंद्र नाथ राय ने राजकरण तिवारी के साथ मिलकर साज़िश रची और जाली स्थानान्तरण आदेशों का इस्तेमाल करके, अभियुक्तों ने सेवा में नियुक्ति हासिल कर ली, जिससे रेलवे विभाग को आर्थिक नुकसान हुआ। यह आरोप भी लगाया गया है कि अपीलकर्ता और अन्य लोग भी भूपेंद्र



नाथ राय और राजकरण तिवारी की साज़िश में शामिल थे। आरोप-पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि भूपेंद्र नाथ राय और राजकरण तिवारी ने आपस में साज़िश रची और अपीलकर्ता तथा अन्य लोगों का पूर्वोत्तर रेलवे से उत्तरी रेलवे, लखनऊ में स्थानांतरण दिखाने वाले कागज़ात आगे बढ़ाकर हेराफेरी की; ऐसा करते हुए उन्होंने यह दर्शाया कि अपीलकर्ता और अन्य लोग सियालदह स्थित यार्ड अधीक्षक के अधीन कार्यरत थे।

3.1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आरोप पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि राजकरण तिवारी ने सेवा-पुस्तिका, कागज़ात और अतिरिक्त पत्र अपनी स्वयं की लिखावट में तैयार किए थे, और अपीलकर्ता ने उन्हीं पत्रों के आधार पर लखनऊ में नियुक्ति प्राप्त की थी। विचारण न्यायालय ने आरोप पत्र पर भा.दं.सं की धारा 420, 467, 468, 471 सपठित धारा 120-ख के साथ भ्र.नि.अधि. की धारा 13(1)घ सपठित धारा 13(2) के तहत आरोपों का संज्ञान लिया, और अपीलकर्ता, मयंक त्रिपाठी, नारायण सिंह, राकेश कुमार यादव, इंद्रेश प्रसाद यादव और अन्य के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। परीक्षण के दौरान, सह-अभियुक्त राजकरण तिवारी की मृत्यु हो गई; इसलिए, उनके खिलाफ मामला उपशमित कर दिया गया और न्यायालय द्वारा 10.10.2003 को मामले को उपशमित करने का आदेश पारित किया गया।

3.2. अभियोजन मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 22 साक्षियों के मौखिक साक्ष्य अर्थात् शंभू स्वरूप शुक्ला - अभि.सा.- 1, एस.सी. मित्तल - अभि.सा.- 2, अरुण शर्मा - अभि.सा.- 3, जगदीश चंद्र - अभि.सा.- 4, वी.डी. पाठक - अभि.सा.- 5, सी. कुँवर सिंह - अभि.सा.- 6, राकेश सिंह - अभि.सा.- 7, अशोक कुमार - अभि.सा.- 8, विजय कुमार - अभि.सा.- 9, श्रीमती कांता रावत - अभि.सा.- 10, विद्या सागर शर्मा - अभि.सा.- 11, कार्तिक गोपाल शाहा - अभि.सा.- 12, राजेश कुमार गुप्ता - अभि.सा.- 13, जे.एस. परिहार - अभि.सा.- 14, जगदीश चंद्र बधवा - अभि.सा.- 15, गोपाल कृष्ण सोनी - अभि.सा.- 16, जगमोहन सिंह - अभि.सा.- 17, वरुण भरतवार - अभि.सा.- 18, विमल कुमार गांगुली - अभि.सा.- 19, सुधाकर पांडे - अभि.सा.- 20, गोपाल सोनार - अभि.सा.- 21, एस साहा - अभि.सा.- 22 पर भरोसा किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3.3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों को सरसरी तौर पर देखने से ही यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि न तो ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है जिससे यह साबित हो सके कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन कथित स्थानान्तरण पत्र या अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है, उन्हें अपीलकर्ता ने ही तैयार किया था; और न ही ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलकर्ता ने सह-अभियुक्तों राजकरण तिवारी और भूपेंद्र नाथ राय के साथ मिलकर कोई साजिश रची थी।

3.4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह भा.दं.सं. की धारा 467 और 468 के तहत लगाए गए आरोप को सिद्ध करे, जिसके अनुसार कथित दस्तावेज अपीलकर्ता द्वारा तैयार किए गए कहे गये थे। इस मामले में, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कथित दस्तावेज अपीलकर्ता ने तैयार किए थे; बल्कि, सह-अभियुक्त राजकरण तिवारी के विरुद्ध दायर आरोप पत्र से यह साफ ज़ाहिर होता है कि दस्तावेज उसी ने तैयार किए थे। इस संबंध में अपनी दलील को विस्तार से समझाने के लिए, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों का हवाला दिया जो **शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहरराज 2018 (7) एस.सी.सी. 581** में प्रकाशित और **इंदर मोहन गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 251** में प्रकाशित मामलों में दिए गए थे। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि भा.दं.सं की धारा 467 के तहत अपराध साबित करने के लिए यह ज़रूरी है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करे कि प्रश्नगत जालसाज़ी आरोपी ने ही की है। हालाँकि, मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष का खास आरोप यह है कि स्थानान्तरण के आदेश राजकरण तिवारी ने तैयार किए थे, न कि अपीलकर्ता ने। धोखाधड़ी और जालसाज़ी के आरोप किसी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं हुए हैं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि ऐसा कोई भी भरोसेमंद और ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि अपीलकर्ता, राजकरण तिवारी और भूपेंद्र नाथ राय के साथ मिलीभगत में था। उन्होंने ज़ोरदार ढंग से यह निवेदन किया है कि किसी मामले को भा.दं.सं. की धारा 120-ख के दायरे में लाने के लिए, यह दिखाना ज़रूरी है कि दोनों



पक्षों के बीच कोई गैर-कानूनी काम करने के लिए कोई समझौता हुआ था, और इसके लिए ठोस साक्ष्य पेश करना अनिवार्य है।

3.5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, अर्थात् इंद्रेश प्रसाद यादव, मयंक त्रिपाठी, राकेश कुमार और नारायण सिंह—जिन्हें भी दोषी ठहराया गया था—ने आपराधिक अपील संख्या 1449/2013, 1212/2013 और 1369/2013 दायर की थीं, और उपर्युक्त सभी अपीलों को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2019 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि चूंकि आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनकी अपील को अलग कर दिया गया था और उस समय उस पर निर्णय नहीं दिया जा सका।

3.6. अंत में, यह निवेदन किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, उपर्युक्त अपीलकर्ताओं के मामलों में दिनांक 27.5.2019 को पारित निर्णय के अनुसार, प्रस्तुत अपील भी स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. के.अ.ब्यू. के विद्वान विशेष अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह ने प्रार्थी के प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और यह निवेदन किया कि अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिले थे; जिसके बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सही तौर पर दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, उन्होंने इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया कि अन्य अभियुक्तों—यानी इंद्रेश प्रसाद यादव, मयंक त्रिपाठी, राकेश कुमार और नारायण सिंह (जिन्हें भी दोषी ठहराया गया था) - का मामला, यहाँ के अपीलकर्ता के मामले जैसा ही है, और उनकी अपीलों 27.5.2019 के फैसले और आदेश के तहत स्वीकार और मंजूर कर ली गई थीं।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और के.अ.ब्यू. के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करते हुए, और अपील की सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों—जिनमें इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1449/2013, 1212/2013 और 1369/2013 में पारित निर्णय भी शामिल हैं—का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों,



अर्थात् इंद्रेश प्रसाद यादव, मयंक त्रिपाठी, राकेश कुमार और नारायण सिंह के विरुद्ध एक ही साक्ष्य के आधार पर आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यक्तियों की अपीलों को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2019 के निर्णय और आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था।

5.1 आपराधिक अपील संख्या 1449/2013, 1212/2013 और 1369/2013 में दिनांक 27.5.2019 को पारित आदेश निम्नानुसार है :-

1. चूँकि इन अपीलों में तथ्यों से संबंधित सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए सभी अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है और इन पर इस एक ही निर्णय द्वारा फैसला दिया जा रहा है।
2. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. राय जो अपीलकर्ताओं—इंद्रेश प्रसाद यादव, मयंक त्रिपाठी, राकेश कुमार और नारायण सिंह की ओर से पैरवी कर रहे हैं तथा प्रतिवादी की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान सहायक महान्यायाभिकर्ता श्री एस.बी. पांडे को सुना गया।
3. दं.प्र.सं. की धारा 374(2) के तहत यह आपराधिक अपील, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, के.अ.ब्यू. (पश्चिम) लखनऊ द्वारा आपराधिक वाद संख्या 20/1999 (के.अ.ब्यू. बनाम मयंक त्रिपाठी और अन्य) में दिनांक 20.08.2013 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। यह मामला नि.वा. संख्या 14, 15(क), 16(क), 17(क), 18(क)/98/के.अ.ब्यू./लखनऊ से उत्पन्न हुआ है, और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख/420, 467, 468 और 471, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(घ) के तहत आरोप लगाए गए थे; जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं, अर्थात् इंद्रेश प्रसाद यादव, मयंक त्रिपाठी, राकेश कुमार और नारायण सिंह को दोषी ठहराया गया है और उन्हें निम्नानुसार दंडित किया गया है:-
 (i) धारा 120 भा.दं.सं. सपठित धारा 420 भा.दं.सं. के तहत- चार साल की सश्रम कारावास और साथ में 5,000/- रुपये का जुर्माना, जिसमें चूक करने की शर्त शामिल है।

(ii) धारा 120 भा.दं.सं. सपठित धारा 467 भा.दं.सं. के तहत - छह साल की सश्रम कारावास और साथ में 15,000/- रुपये का जुर्माना, जिसमें चूक करने की शर्त शामिल है।

(iii) धारा 120 भा.दं.सं. सपठित धारा 468 भा.दं.सं. के तहत - चार साल की सश्रम कारावास और साथ में 10,000/- रुपये का जुर्माना, जिसमें चूक करने की शर्त शामिल है।

(iv) धारा 120 भा.दं.सं. सपठित धारा 471 भा.दं.सं. के तहत - दो साल की सश्रम कारावास और साथ में 1,000/- रुपये का जुर्माना, जिसमें चूक करने की शर्त शामिल है।

4. इस मामले के तथ्य यह हैं कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऊपर वर्णित पाँच प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी नि.वा. संख्या 14, 15-क, 16-क, 17-क, 18-क/98/के.अ.ब्यू/लखनऊ दर्ज की गई थीं। इन प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर जाली स्थानान्तरण आदेश, सेवा पुस्तिका और निजी कागज़ात तैयार करवाए थे, जिनमें यह दिखाया गया था कि ये कागज़ात सियालदह स्थित मण्डल कार्मिक अधिकारी के कार्यालय से भेजे गए थे। इन कागज़ातों के आधार पर अपीलकर्ताओं का स्थानान्तरण सियालदह से स्वचालित यंत्र, उत्तरी रेलवे, चारबाग, लखनऊ में 'खलासी' के पद पर कर दिया गया था, और इसी स्थानान्तरण आदेश के आधार पर उन्होंने लखनऊ में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था; जबकि असल में उनकी नियुक्ति कभी भी उत्तरी रेलवे, सियालदह में हुई ही नहीं थी। इसके अलावा, यह आरोप भी लगाया गया है कि इन जाली और फ़र्जी दस्तावेज़ों के आधार पर, उन्होंने धोखाधड़ी और जालसाज़ी करके लखनऊ में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

5. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में जांच की और इसे पूरा करने के बाद 14.09.1999 को अपीलकर्ताओं के साथ-साथ प्रभु नाथ राय, राज करण तिवारी और भूपेंद्र नाथ—जो उत्तरी रेलवे, मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली स्थित म.प्र.(कार्मिक) कार्यालय के का.अधी. ॥

(उ०) ॥ (प०) अनुभाग में कार्यरत थे—के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। राज करण तिवारी पुत्र सीताराम तिवारी, जो लोको कार्यालय,

चारबाग, लखनऊ में खलासी के पद पर तैनात थे, ने भूपेंद्र नाथ के साथ मिलकर आपस में साठगांठ की और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथा धोखाधड़ी व जालसाजी करके स्थानांतरण आदेश तैयार किए, जिससे रेलवे विभाग को आर्थिक नुकसान हुआ। आरोप पत्र में आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता भी भूपेंद्र नाथ और राज करण तिवारी की इस साजिश में शामिल थे। आरोप पत्र में आगे यह भी कहा गया कि भूपेंद्र नाथ और राज करण तिवारी ने आपस में मिलकर साजिश रची और अपीलकर्ताओं का स्थानांतरण पूर्वी रेलवे से उत्तरी रेलवे, लखनऊ में दर्शाने वाले कागजात को आगे भेजने की प्रक्रिया में हेरफेर किया; इन कागजातों में यह दिखाया गया था कि अपीलकर्ता सियालदह स्थित यार्ड अधीक्षक के कार्यालय में कार्यरत थे।

6. आरोप-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज करण तिवारी ने सेवा पुस्तिका और अतिरिक्त पत्रों सहित अन्य कागजात अपनी स्वयं की लिखावट में तैयार किए थे, और अपीलकर्ताओं ने उक्त अतिरिक्त पत्रों के आधार पर लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था।

7. आरोप-पत्र के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के साथ सपठित धारा 420, 467, 468 तथा 471 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।

8. परीक्षण के दौरान, सह-अभियुक्त राज करण तिवारी की मृत्यु हो गई; अतः उनके विरुद्ध मामला उपशमित कर दिया गया और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2003 को उपशमन का आदेश पारित किया गया।

9. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में शंभू स्वरूप शुक्ला अभि.सा.- 1, एस.सी. मित्तल अभि.सा.- 2, अरुण शर्मा अभि.सा.- 3, जगदीश चंद्र अभि.सा.- 4, वी.डी. पाठक अभि.सा.- 5, सी. कुँवर सिंह अभि.सा.- 6, राकेश सिंह अभि.सा.- 7, अशोक कुमार अभि.सा.- 8, विजय कुमार अभि.सा.- 9, कांता रावत अभि.सा.- 10, विद्या सागर शर्मा अभि.सा.- 11, कार्तिक गोपाल साह अभि.सा.- 12, राजेश कुमार गुप्ता अभि.सा.- 13, जे.एस. परिहार अभि.सा.- 14, जगदीश चंद्र बाधवा



अभि.सा.- 15, गोपाल कृष्ण सोनी अभि.सा.- 16, जगमोहन सिंह
अभि.सा.- 17, वरुण भरतवार अभि.सा.- 18, विमल कुमार गांगुली
अभि.सा.- 19, सुधाकर पांडे अभि.सा.- 20, गोपाल सोनार अभि.सा.- 21
और एस. साहा अभि.सा.- 22 को परीक्षित कराया।

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि, यहाँ उल्लिखित साक्षियों सहित अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन मात्र करने से यह स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि स्थानांतरण पत्र या अभियोजन पक्ष द्वारा जिन अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है, उन्हें अपीलकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया था; और न ही ऐसा कोई साक्ष्य है जो अपीलकर्ताओं की, सह-अभियुक्त राज करण और भूपेंद्र नाथ के साथ किसी षड्यंत्र में संलिप्तता को दर्शा सके या उसे स्थापित कर सके।

11. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 467 और 468 के तहत आरोप लगाने के लिए, अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह यह साबित करे कि वे दस्तावेज अभियुक्तों द्वारा तैयार किए गए थे। प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित नहीं किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दस्तावेजों का आरोप लगाया जा रहा है, उनमें से कोई भी दस्तावेज अपीलकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया था; बल्कि, सह-अभियुक्त राज करण के विरुद्ध दायर आरोप-पत्र से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे दस्तावेज उसी ने तैयार किए थे।

12. इस संबंध में अपने तर्कों को विस्तार से समझाने के लिए, उन्होंने 'इंदर मोहन गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य' ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 251 मामले का हवाला दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत अपराध के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि प्रश्नगत जालसाजी अभियुक्त द्वारा ही की गई है। प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष के विशिष्ट आरोप यह हैं कि सहायक दस्तावेजों और स्थानांतरण आदेशों—जिनके आधार पर अपीलकर्ताओं ने लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था—को राज करण तिवारी ने तैयार किया था, न

कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने। अभियोजन पक्ष धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों को किसी भी ठोस साक्ष्य द्वारा साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष यह भी स्थापित नहीं कर पाया है कि अपीलकर्ताओं को इस तथ्य की जानकारी थी कि उनकी सेवा से संबंधित सहायक दस्तावेज़ जाली और कूटरचित थे। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, वर्तमान अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468 और 471 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने श्रीमती मंजू गुप्ता बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल एम.एस. पेंटल के मामले पर भी भरोसा जताया है, जो 1982 (2) एस.सी.सी.412 में प्रकाशित किया गया है; जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कथित जालसाजी से अभियुक्त अपीलकर्ता को मात्र लाभ मिलना, भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है।

14. जहाँ तक भा.दं.सं. की धारा 120-ख के तहत अपराध का संबंध है, इस संबंध में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ता सह-अभियुक्त भूपेंद्र नाथ और राज करण तिवारी के साथ मिलीभगत में थे। आगे यह भी बताया गया है कि भा.दं.सं. की धारा 120-ख के दायरे में साज़िश के आरोपों को साबित करने के लिए, ठोस साक्ष्यों से यह स्थापित करना आवश्यक है कि पक्षों के बीच किसी गैर-कानूनी कार्य को करने के लिए कोई समझौता हुआ था। इस संबंध में, उन्होंने हरदेव सिंह बनाम बिहार राज्य मामले पर भरोसा जताया, जो ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 2245 में प्रकाशित किया गया है। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि यदि कोई ऐसा समुचित साक्ष्य मौजूद न हो कि कम से कम दो व्यक्तियों ने अपराध करने के लिए आपस में परामर्श किया था, तो साज़िश का आरोप विद्यमान नहीं रखा जा सकता। अतः, यह स्पष्ट है कि अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य होने चाहिए जो यह स्थापित करें कि नकली और जाली स्थानान्तरण कागजात तैयार



करने में अपीलकर्ताओं ने सह-अभियुक्त राज करण तिवारी के साथ कोई पूर्व परामर्श किया था। वर्तमान मामले में, अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ताओं को यह जानकारी थी कि राज करण तिवारी द्वारा उन्हें दिए गए स्थानान्तरण कागजात जाली और कूटरचित थे; ऐसे में, उन कागजात के आधार पर लखनऊ में अपीलकर्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने को साज़िश का परिणाम नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 120 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

15. इसके विपरीत, भारत के विद्वान सहायक महान्यायाभिकर्ता श्री एस.बी. पांडे ने यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप सही ढंग से तय किए गए हैं और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अभियुक्त अपीलकर्ता न तो सियालदह स्थित यार्ड अधीक्षक के कार्यालय में कार्यरत थे और न ही सियालदह स्थित यार्ड अधीक्षक के कार्यालय से उनके स्थानांतरण के कोई वास्तविक आदेश जारी किए गए थे। उनका अगला तर्क यह है कि अभियुक्त अपीलकर्ताओं ने लखनऊ में इस तथ्य को जानते हुए कार्यभार ग्रहण किया था कि वे न तो कभी सियालदह स्थित यार्ड अधीक्षक के कार्यालय में कार्यरत रहे थे और न ही उनके स्थानांतरण के आदेश प्रामाणिक थे। अतः, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं के तहत मामला बनता है।

16. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख का अवलोकन किया है।

17. अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने पर, साथ ही दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के निवेदनों और विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता के निवेदन में बल नज़र आता है। इस मामले में, अभियोजन पक्ष के स्पष्ट आरोप ये हैं कि स्थानान्तरण के कागजात और उनसे जुड़े सहायक दस्तावेज़—जिनके आधार पर यह कहा गया है कि अभियुक्त अपीलकर्ताओं ने लखनऊ में कार्यभार संभाला था—राज

करण ने तैयार किए थे, न कि आरोपी अपीलकर्ताओं ने। इंदर मोहन गोस्वामी (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार, भा.दं.सं की धारा 467 के तहत अपराध साबित करने के लिए तीन मुख्य तत्वों का होना अनिवार्य है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि यह बात सभी उचित संदेहों से परे साबित होनी चाहिए कि जालसाज़ी आरोपी अपीलकर्ता द्वारा ही की गई थी। प्रस्तुत मामले में, भा.दं.सं की धारा 467 के तहत अपराध का मूल तत्व न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में मौजूद है और न ही आरोप-पत्र में; इसलिए, यह कहा जा सकता है कि भा.दं.सं की धारा 467 के तहत अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि कानूनन मान्य नहीं है।

18. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने धोखाधड़ी और जालसाज़ी के आरोपों को किसी भी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं किया है, क्योंकि अभियुक्त अपीलकर्ता अनपढ़ हैं और समाज के दबे-कुचले लोग हैं, और वे रेलवे विभाग की प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं से परिचित नहीं हैं। रेलवे विभाग की प्रक्रिया की तकनीकी बातें अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के लिए समझना बहुत मुश्किल है। यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें ऐसी जानकारी थी। अपीलकर्ताओं ने रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह मानते हुए कि वे दस्तावेज संबंधित अधिकारियों द्वारा वैध रूप से जारी किए गए थे नौकरी शुरू की थी। अपीलकर्ताओं ने उन दस्तावेजों को असली माना था, क्योंकि वे दस्तावेज नई दिल्ली के बड़ौदा हाउस स्थित रेलवे के अधिकारियों द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा, श्रीमती मंजू गुप्ता (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, जिसके अनुसार जालसाज़ी के अपराधों के लिए किसी को दोषी सिर्फ इस आधार पर नहीं ठहराया जा सकता कि अभियुक्त अपीलकर्ता उस जालसाज़ी का लाभार्थी है। इसलिए, ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 420, 468 और 471 के तहत अपराध बनते हैं।

19. जहाँ तक भा.दं.सं. की धारा 120-ख के तहत आरोपों का सवाल है, इस बात को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त अपीलकर्ता रेलवे अधिकारियों के साथ मिलीभगत में थे।

साज़िश के आरोप को भा.दं.सं. की धारा 120-ख के दायरे में लाने के लिए, ठोस साक्ष्य से यह साबित करना ज़रूरी है कि पक्षों के बीच कोई गैर-कानूनी काम करने के लिए कोई समझौता हुआ था। इस मामले में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि अपीलकर्ताओं ने कथित नकली और जाली स्थानान्तरण कागज़ात तैयार करने के लिए सह-अभियुक्त राज करण तिवारी के साथ पहले से कोई सलाह-मशविरा किया था। अभिलेख में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ताओं को यह मालूम था कि राज करण तिवारी द्वारा उन्हें दिए गए स्थानान्तरण कागज़ात जाली और कूटरचित थे; इसलिए, उन कागज़ातों के आधार पर लखनऊ में अपीलकर्ताओं का कार्यभार ग्रहण को साज़िश का नतीजा नहीं कहा जा सकता। अतः, अभियुक्त अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 120-ख के तहत मामला नहीं बनता है।

20. ऊपर की गई चर्चाओं को देखते हुए, अभियुक्त अपीलकर्ताओं पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं और अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः, अभियुक्त अपीलकर्ता, अर्थात् इंद्रेश प्रसाद यादव, मयंक त्रिपाठी, राकेश कुमार और नारायण सिंह, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के साथ सपठित धाराओं 420, 467, 468 और 471 के तहत दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं और उन्हें एतद्वारा सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

21. परिणामस्वरूप, अपीलों को स्वीकार किया जाता है और विद्वान् विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (पश्चिम), लखनऊ द्वारा आपराधिक वाद संख्या 20/1999 में दिनांक 20.08.2013 को पारित निर्णय और आदेश को एतद्वारा अपास्त किया जाता है, तथा अपीलकर्ताओं - इंद्रेश प्रसाद यादव, मयंक त्रिपाठी, राकेश कुमार और नारायण सिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि कोई जुर्माना वसूल किया गया है, तो उसे तत्काल उन्हें वापस कर दिया जाए। यदि अपीलकर्ता जेल में हैं, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए बशर्ते वे किसी अन्य आपराधिक मामले में वांछित न हों और यदि वे



जमानत पर हैं, तो उन्हें अपनी जमानत पर आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है तथा उनके प्रतिभुओं को मुक्त किया जाता है।

22. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आपराधिक अपील संख्या 1209/2013 और आपराधिक अपील संख्या 1312/2013 को वर्तमान अपील से अलग कर दे।

23. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु अवर न्यायालय को भेजा जाए।

5.2. विचारण न्यायालय के फैसले की जाँच करने के बाद, और साथ ही इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1449/2013 में दिए गए फैसले को देखने के बाद, यह साफ़ है कि उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, ऊपर बताए गए लोगों के साथ अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था; और 27.05.2019 के आदेश के ज़रिए, इंद्रेश प्रसाद यादव, मयंक त्रिपाठी, राकेश कुमार और नारायण सिंह—जिनकी भूमिका एक जैसी थी—को इस न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने योगारानी बनाम राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक के मामले जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2609 में प्रकाशित हुआ है, यह निर्णीत किया कि जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध एक जैसे या समान साक्ष्य पेश किए जाते हैं, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता और दूसरे को दोषमुक्त नहीं कर सकता।

5.3. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि पूर्वोक्त अपीलों के मामले में की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामले पर भी लागू होती हैं। अतः, वर्तमान अपील **स्वीकार** की जाती है।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के.अ.ब्यू. (पश्चिम) लखनऊ द्वारा आपराधिक वाद संख्या 20/1999 (के.अ.ब्यू. बनाम मयंक त्रिपाठी और अन्य) में दिनांक 20.8.2013 को पारित आदेश को इस निर्णय द्वारा **अपास्त** किया जाता है।

5.4. कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के बाबत विचारण न्यायालय को तत्काल सूचित करें।

(न्यायमूर्ति, राजीव सिंह)

26 मार्च, 2026.

गौरव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।